संख्या-3/2025/I/849395/2025/10-24099/59/2024-वित्त विभाग

प्रेषक,

समीर,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

सहकारी समितियां एवं पंचायत,

लेखा परीक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।

वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 13-01-2025

विषयः- निदेशक, संयुक्त निदेशक तथा मण्डलीय कार्यालय हेतु वाहन क्रय किये के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या-321/लेखा-2/2024-25/लखनऊ दिनांक 23.09.2024 एवं पत्र संख्या-336/लेखा-2/2024-25/लखनऊ दिनांक 27.09.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा निदेशालय के अन्तर्गत निदेशक, संयुक्त निदेशक तथा मण्डलीय कार्यालय हेतु 03 नये वाहनों के क्रय किये जाने हेतु वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत हैः-

क्रम सं0	प्रयोगार्थ	वाहनों की संख्या/अदद	वाहनों के प्रकार	जेम पोर्टल पर वाहनों के मूल्य (रु0 में)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	विभागाध्यक्ष/निदेशक	1	टोयोटा इनोवा हाईक्रास	19,76,864.00
2	संयुक्त निदेशक	1	मारुति सियाज	9,84,720.00
3	मंडलीय कार्यालय	1	महिन्द्रा बोलेरो	8,75,203 .00
कुल योग-		3		38,36,787.00 (रू0 अड़तीस लाख छत्तीस हजार सात सौ सत्तासी मात्र)

2- उक्तानुसार किये गये अनुरोध के अनुक्रम में निदेशक, संयुक्त निदेशक तथा मण्डलीय कार्यालय हेतु 03 नये वाहनों के क्रय किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष-2024-25 आय-व्ययक अनुदान संख्या-65 के अंतर्गत लेखा शीर्ष-4070 (सहकारी लेखा परीक्षा अधिष्ठान) के मानक मद संख्या-14 "(मोटर गाड़ियों का क्रय") में उपलब्ध धनराशि-रु0 40,00,000.00 (रु0 चालीस लाख मात्र) में से रु0 38,36,787.00(रु0 अड़तीस लाख छत्तीस हजार सात सौ सत्तासी मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल एतदद्वारा अनुमति प्रदान करते हैं:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(1) निदेशक, सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा उ0प्र0 लखनऊ द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं बजट मैनुअल के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(2) निदेशक, सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा उ0प्र0 लखनऊ द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

(3) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या:1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता का उत्तरदायित्व निदेशक, सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा, उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

भवदीय,
समीर
विशेष सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैवः</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- निदेशक, वित्तीय सांख्यकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
समीर
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।